बरेली पुलिस

थाना बारादरी

प्रेस नोट दिनांक 04.08.2025

थाना बारादरी बरेली पुलिस द्वारा लूट करने के उद्देश्य से आये शातिर लुटेरे को चोरी की बाईक एवं तमंचा, कारतूस तथा पूर्व में रूहेलखण्ड क्षेत्र से लूटे गये मोबाइल सहित किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

दिनांक 03/04.08.2025 की रात्रि में थाना बारादरी पुलिस द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में अफवाह फैलाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग आदि की कार्यवाही की जा रही थी व भ्रमण करते हुए टीम सैटेलाइट विजय पैट्रोल पम्प के पास पंहुची कि तभी पुलिस को देखकर मो0सा0 सवार 02 व्यक्ति भागने लगे। संदिग्ध व बदमाश होने की शंका होने पर भाग रहे दोनों बदमाशो को घेराबन्दी कर पकडने का प्रयास किया गया मो0सा0 चला रहा व्यक्ति भागते समय गिर गया जिसे मौके पर पकड़ा गया एवं एक व्यक्ति जो अन्धेरे व बरसात का लाभ उठाकर भाग गया, जिसकी तलाश की गयी किन्तु नहीं मिला। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो अपना नाम अभियुक्त संजू कुमार पुत्र राजेन्द्र पाल नि0 ग्राम सुकाली पोस्ट नरखेड़ा थाना शाही जिला बरेली, हाल निवासी बंजरग विहार थाना ट्रांजिट कैम्प जिला उधम सिंह नगर उतराखण्ड, उम्र करीब 23 वर्ष बताया। तलाशी से एक तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं एक मोबाइल कम्पनी एप्पल iPhone15 (रंग सफेद) तथा 01 मोटर साइकिल रजि0 नं0 UP25OU6834 मिला। मो0सा0 के कागजात तलब करने पर अभियुक्त द्वारा पहले तो टालमटोल किया गया, फिर बताया कि साहब यह चोरी की मो0सा0 है, जिसे कुछ माह पहले रेलवे जंक्शन बरेली से चुराया था, तथा iPhone15 के सम्बन्ध में पूछने पर गलती की मांफी मांगते हुए कहने लगा कि यह आईफोन हमने लगभग 09-10 महीने पहले हमने रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी के पास अपने दोस्त के साथ लूटा था। अपने पास काफी दिनों तक बिना सिम लगाये रखा रहा, जब मुझे यह लगने लगा कि अब मुझे पुलिस तलाश नही करेगीं तब मैंने इसमें अपना सिम लगाकर स्वयं प्रयोग करना शुरू किया कि पकडा गया। मौके से भागे बदमाश के बारे में पूछने पर बता रहा है कि उसका नाम अमित यादव है, जो फतेहगंज पश्चिमी का रहने वाला है। हम दोनों ही मिलकर चोरी की मो0सा0 से मोबाइल की लूट करते है और लूट करने के बाद मोबाइल को ले जाकर दिल्ली या उत्तराखण्ड में बेच देते है। आईफोन भी बेचने के लिए मैं और अमित रूद्रपुर गये थे किन्तु दुकानदार द्वारा रसीद, डिब्बा व चार्जर मांगा जाने लगा तो बेचने का विचार त्यागकर स्वयं प्रयोग करने लगे। उक्त के सम्बन्ध में अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 01.11.2024 को श्रीमती शताक्षी चौहान पत्नी अभिषेक चौहान निवासी गणेश नगर गली नं0 5 थाना सुभाषनगर बरेली ने थाना बारादरी पर लिखित तहरीर दी गयी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका बैग छीन लिया गया था, जिसमें उसका आईफोन 15 रंग सफेद व कुछ पैसे व कुछ आभूषण थे। जिसके सम्बन्ध में थाना बारादरी पर मु0अ0सं0 1127/2024 धारा 304 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना अभी प्रचलित है। सर्विलान्स टीम के सहयोग से विवेचक लगातार घटना के अनावरण के लिए प्रयासरत थे। मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस की बढ़ौत्तरी की गयी तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। फरार अभियुक्त को तलाश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी। बरामद मो0सा0 का चैसिंस नं0 MBLHA10ABBHM01052 डालकर ई- चालान एप पर देखा गया तो इस चैसिस नं0 पर वाहन सं0 UP25AQ2213 आ रहा है, जिससे यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा चोरी किये गये मो0सा0 पर रजि0 नं0 बदल कर लूट की घटना कारित की जा रही थी ।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

दिनांक 03/04.08.2025 की रात्रि थाना बारादरी पुलिस टीम जिसमें उ0नि0 रवि तोमर मय हमराह का0 555 दिपांशु पोसवाल व चीता कर्मचारीगण हे0का0 1287 अर्पित चतुर्वेदी व का0 684 अजीत सिंह चौकी क्षेत्र में गस्त में मामूर थे । दिनांक 03/04.08.2025 की रात्रि में थाना बारादरी पुलिस द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में अफवाह फैलाने वाले संदिग्ध व्यक्तियो की चैकिंग आदि की कार्यवाही की जा रही थी व भ्रमण करते हुए टीम सैटेलाइट विजय पैट्रोल पम्प के पास पंहुची कि तभी पुलिस को देखकर मो0सा0 सवार 02 व्यक्ति भागने लगे, संदिग्ध व बदमाश होने की शंका होने पर भाग रहे दोनों बदमाशो को घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। मो0सा0 चला रहा व्यक्ति भागते समय गिर गया जिसे मौके पर पकडा गया एवं एक व्यक्ति जो अन्धेरे व बरसात का लाभ उठाकर भाग गया। जिसकी तलाश की गयी किन्तु नहीं मिला। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो अपना नाम अभियुक्त संजू कुमार पुत्र राजेन्द्र पाल नि0 ग्राम सुकाली पोस्ट नरखेडा थाना शाही जिला बरेली हाल निवासी बंजरग विहार थाना ट्राजिट कैम्प जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड उम्र करीब 23 वर्ष बताया,

तलाशी से कमर में घुंसा हुआ एक तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं एक मोबाइल कम्पनी एप्पल iPhone15 रंग सफेद तथा 01 मोटर साइकिल रजि0 नं0 UP25OU6834 मिला। बरामद मो0सा0 चोरी की है एवं बरामद फोन थाना बारादरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1127/2024 से सम्बन्धित है।

<u>पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरण -</u>

अभियुक्त से पूछने पर बताया कि यह चोरी की मो0सा0 है, जिसे कुछ माह पहले रेलवे जंक्शन बरेली से चुराया था तथा नम्बर प्लेट बदल दिया था तथा iPhone15 के सम्बन्ध में पूछने पर गलती की मांफी मांगते हुए कहने लगा कि यह आईफोन हमने लगभग 09-10 महीने पहले हमने रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी के पास अपने दोस्त अमित के साथ एक महिला से बैग के साथ लूटा था तथा अपने पास काफी दिनों तक बिना सिम लगाये रखा रहा जब मुझे यह लगने लगा कि अब मुझे पुलिस तलाश नही करेगीं तब मैने इसमें अपना सिम लगाकर स्वयं प्रयोग करना शुरू किया कि पकड़ा गया। मौके से भागे बदमाश के बारे में पूछने पर बता रहा है कि उसका नाम अमित यादव है जो फतेहगंज पश्चिमी का रहने वाला है। हम दोनों ही मिलकर चोरी की मो0सा0 से मोबाइल की लूट करते है और लूट करने के बाद मोबाइल को ले जाकर दिल्ली या उत्तराखण्ड में बेच देते है । आईफोन भी बेचने के लिए मैं और अमित रूद्रपुर गये थे किन्तु दुकानदार द्वारा रसीद, डिब्बा व चार्जर मांगा जाने लगा तो बेचने का विचार त्यागकर स्वयं प्रयोग करने लगे। लूटे गये बैग में हमें यह मोबाइल फोन एवं कुछ आभूषण जिसे हमने 30 हजार रूपये में रूद्रपुर में बेच दिया था और मोजमस्ती में उडा दिये थे तथा कागज व बैग रूद्रपुर जाते समय रास्ते में फेंक दिया था। पूछताछ में यह भी जानकारी हुई कि अभियुक्त एक शातिर लूटेरा है तथा पूर्व में भी लूट के मामलो में जेल जा चुका है ।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/अपराधिक इतिहासः –</u>

1. **संजू कुमार पुत्र राजेन्द्र पाल नि0 ग्राम सुकाली पोस्ट नरखेडा थाना शाही जिला बरेली हाल निवासी बंजरग विहार थाना ट्राजिट कैम्प जिला उधम सिंह नगर उतराखण्ड उम्र करीब 23 वर्ष**
    1. मु0अ0सं0 1127/2024 धारा धारा 304/317(2)/317(5) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली ।
    2. मु0अ0सं0 278/2019 धारा 392/411 भादवि थाना बहेडी बरेली ।
    3. मु0अ0सं0 0134/2023 धारा 120बी/212/307/34 भादवि थाना पंत नगर उत्तराखण्ड
    4. मु0अ0सं0 0132/2023 धारा 392/411/34 भादवि थाना पंतनगर उत्तराखण्ड
    5. मु0अ0सं0 0135/2023 धारा 120बी/212/392/411 भादवि थाना पंतनगर उत्तराखण्ड
    6. मु0अ0सं0 0170/2018 धारा 379/411 भादवि थाना पंत नगर उत्तराखण्ड
    7. मु0अ0सं0 400/2023 धारा 212/356/411/34 भादवि थाना रूद्रपुर उत्तराखण्ड
    8. मु0अ0सं0 388/2023 धारा 212/356/308/411/34 भादवि थाना रूद्रपुर उत्तराखण्ड
    9. मु0अ0सं0 396/2023 धारा 34/356/411 भादवि थाना रूद्रपुर उत्तराखण्ड
    10. मु0अ0सं0 260/2024 धारा 132/221/224/351(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना ट्रान्सिट कैम्प उत्तराखण्ड
    11. मु0अ0सं0 243/2024 धारा 102/41/34/392/411 भादवि थाना रूद्रपुर उत्तराखण्ड

<u>घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-</u>

मु0अ0सं0 1127/2024 धारा धारा 304/317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली।

<u>बरामदगी-</u>

1. 01 मोटर साइकिल न0 UP25 OU 6834 जिसका ओरिजिनल रजि0नं0 UP25AQ2213
2. 01 तमंचा 315 बोर व एक कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायाज।
3. एक मोबाइल कम्पनी एप्पल iPhone15 रंग सफेद सम्बन्धित मु0अ0सं0 1127/2024

<u>पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक धनंन्जय पाण्डेय थाना बारादरी बरेली ।
2. उ0नि0 रवि तोमर थाना बारादरी बरेली ।
3. का0 555 दिपांशु पोसवाल थाना बारादरी बरेली ।
4. हे0का0 1287 अर्पित चतुर्वेदी थाना बारादरी बरेली ।
5. का0 684 अजीत सिंह थाना बारादरी बरेली ।